लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बर:—238/2018 प्रार्थना पत्र
ामलाल पिता हीरा खटीक, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थी

बनाम

बालूसिंह पिता नाथू सिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
ज्ञानमल पिता हीरा खटीक, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
मदन पिता चन्द्रा खटीक, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
सत्यनारायण पिता चन्द्रा खटीक, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
नी पत्नी सोहन खटीक, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
प्रहलाद पिता सोहन खटीक, उम्र बालिग, निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
दिनेश पिता सोहन खटीक, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
री पत्नि देबीलाल खटीक, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)
ास्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:—22.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आंबाखेड़ी पटवार तिलोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 234/2 रकबा 3 बीघा 10 मूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी ये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.9.2018 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 8 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 8 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 8 तनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 9 के बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 9 उपस्थित नहीं। विपक्षी 9 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के दिनांक 18.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम आंबाखेड़ी पटवार हल्का तिलोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 234/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को –रूपये (दौ सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में गढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner